...य उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)

शामिल **डिक्री**

...संख्या 138/20	धारा अंतर्गत 53, 188	निर्णय दिनांक 24.6.22
समक्ष - श्री दिव्यांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी - बारां		
उपस्थिति - अभिभाषक वादी श्री ओम प्रकाश मेहता II	अभिभाषक प्रतिवादी	

वाद शीर्षक

1. मोहनलाल पुत्र बजरंगलाल 2. कुन्जबिहारी पुत्र बजरंगलाल जाति माली
3. छोटूलाल पुत्र बजरंगलाल जाति माली निवासी बड़ा तह. बारां

बनाम

1. ओंकारलाल पुत्र शंकरलाल जाति माली निवासी बड़ा
2. चतुर्भुज पुत्र शंकरलाल जाति माली निवासी बड़ा
3. बद्रीलाल पुत्र शंकरलाल जाति माली नि. बड़ा
4. ओंकारबाई पुत्री शंकरलाल पत्नी रामनारायण जाति माली नि. गोपालपुरा की जगह... मृतक...
5. हजारीबाई पुत्री शंकरलाल पत्नी छोटूलाल जाति माली नि. कुन्जबिहारी के पास ...
6. मीनाक्षी पत्नी मनोज जाति कलाल नि. कलमण्डा तह. बारां हाल नि. तेल फैक्ट्री बारां
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद मे यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार विवादित आराजी वाके ग्राम बड़ा तह. बारां का पक्षकारान के मध्य पृथक-पृथक विभाजन निम्नानुसार किया जाता है:-

नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा	दिशा
1. मोहनलाल, कुन्जबिहारी, छोटूलाल पुत्र बजरंगलाल हि. बराबर कौम कोली सा. बड़ा	101	1.28	दक्षिण
2. ओंकार पुत्र शंकरलाल, हि. 1/87 रहन केनरा बैंक बारां, ओंकारबाई पुत्री शंकरलाल हि. 27/87, चतुर्भुज पुत्र शंकरलाल हि. 1/87, छोटूलाल पुत्र शंकरलाल हि. 1/87, बद्रीलाल पुत्र शंकरलाल हि. 1/87, मीनाक्षी पत्नी मनोज हि. 28/87 रहन हि. 21/160 केनरा बैंक शाखा बारां, रामकन्याबाई पुत्री शंकरलाल हि. 1/87 जाति माली, हजारीबाई पुत्री शंकरलाल हि. 27/87 जाति माली सा. देह रहन हि. 1/8 केनरा बैंक बारां	101	0.87	उत्तर

उपरोक्तानुसार विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य पृथक-पृथक विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 24.6.22 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बारां

उपखण्ड अधिकारी, बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:50:03 IST
Reason: SelfAttested

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		
7	फीस कमिश्नर		
8	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9	ब्याज (%)		

Scanned with CamScanner

निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :—138 / 2020
दायरा दिनांक :—04.11.2020
निर्णय दिनांक :—28.03.2022

उनवान

1. मोहनलाल आयु 62 वर्ष पुत्र श्री बजरंगलाल जाति माली
2. मुकुटबिहारी आयु 51 वर्ष पुत्र बजरंग लाल जाति माली
3. छोटूलाल आयु 41 वर्ष पुत्र बजरंगलाल जाति माली निवासीगण अंता तह0 जिला बारां।

बनाम

1. ओंकारलाल पुत्र शंकरलाल जाति माली निवासी बडा
2. चतुर्भुज पुत्र शंकरलाल जाति माली निवासी बडा।
3. बद्रीलाल पुत्र शंकरलाल जाति माली निवासी बडा।
4. ओंकारबाई पुत्री शंकरलाल पत्नी रामनारायण जाति माली निवासी गोपाल पुरा की झोपड़िया बोंहत के पास तह0 मांगरोल
5. हजारीबाई पुत्री शंकरलाल पत्नी छोटूलाल जाति माली नि0 सुकनी नदी के पास ईटावा जिला कोटा।
6. मीनाक्षी सुवांलका पत्नी मनोज सुवांलका जाति कलाल निवासी कलमण्डा तह0 व जिला बारां हाल निवासी तेल फैक्ट्री बारां
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी ए एक्ट

निर्णय दिनांक :— 28.03.2022
अभिभाषक उपस्थित :— 1. श्री ओमप्रकाश मेहता — वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम बडा पटवार हल्का बडा तहसील बारां की आराजी सम्वत् 2073—76 खाता संख्या नया 310 पुराना 306 की आराजी खसरा नं0 101 रकबा 2.15 है0 माल प्रथम लगानी 27.95 रूप्ये स्थित है जिसे आगे वादपत्र में विवदित आराजियात के नाम से सम्बोधित किया गया है। खातेदार मथुरीबाई पत्नी शंकरलाल जाति माली निवासी बडा का देहान्त हो चुका है। जिसके वारिसान वादपत्र में अंकित है इनके अतिरिक्त मृतक मथुरीबाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:30:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

का अन्य कोर्ट वारिस एवं वैधानिक कायम मुकामान नही है। वादिया एवं प्रतिवादीगण का खाता संयुक्त है किन्तु मौके पर बाहमी बंटवारा किया हुआ है जिसके अनुसार वादिया एवं प्रति–वादीगण अपने अपने हिस्से की आराजियात पर काबिज काश्त है किन्तु वादिया को अपने हिस्से एवं कब्जे काश्त की आराजियात भुसुधार करने या बैंक आदि से किसी भी प्रकार ऋण प्राप्त करने में काफी असुविधा होती है इसलिए वादीगण अपना खाता संयुक्त रखने में असमर्थ है इसलिये अपना खाता पृथक कराकर पथक से राजस्व रिकार्ड में अंकन कराने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकने की अधिकारी एवं नालिशी है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से बार बार अपने हिस्से अनुसार पृथक खाता करवाने के लिये तहसील बारां में चलने का निवेदन किया गया तो प्रतिवादीगण द्वारा आलमटूल की जाती है अंतिम रू॰ से दिनांक 15.10. 2020 को स्पष्ट रू॰ से इंकार करने पर वादिया द्वारा तहसीलदार बारां से अपना खाता पृथक करने के लिये निवेदन किया गया तो तहसीलदार बारां द्वारा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की सलाह दी गई इस कारण वाद कारण अंतिम रूप से दिनांक 15. 10.2020 को बमुकाम ग्राम बडा तह0 अंता में उत्पन्न हुआ है। वादी द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद इर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी गण बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी वादी द्वारा अपने पक्ष के समार्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बडा सम्वत् 2073–76 खाता सं0 310 पेश की गई । साक्ष्य वादी में वादी मुकट बिहारी का शपथ पत्र पेश हुआ।

बहस अभिभाषक वादिया एक तरफा सुनी गयी बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवाति आराजी वादिया एवं विवादित आराजी वाके ग्राम बडा तह0 बारां में स्थित है। प्रतिवादी गण के संयुक्त खातेदारी में है। परन्तु वादी एवं प्रतिवादी गण द्वारा मौके पर बाहमी बंटवारा किया हुआ है। वादी एवं प्रतिवादी मौके पर बाहमी कंटवारे के आराधार पर हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। वादीगण को अपने हिस्से एवं कब्जे काश्त की आराजी में सुधार करने या बैंक आदी से ऋण प्राप्त करने काफी असुविधा होती है। वादी गण अपने हिस्से एवं कब्जे काश्त के आधार पर बाहमी बंटवारे अनुसार विभाजन कराकर पृथक खाते दर्ज करवाना चाहते है। वादी का वाद स्वीकार किया जावे।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम बडा [illegible]76 खाता सं0 310 के अनुसार विवादित आराजी वादीगण एवं प्रतिवादी गण [illegible] संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। वादीगण विवादित आराजी का अपने हिस्से एवं कब्जे [illegible] अनुसार पृथक पृथक विभाजन करवाना चाहते हैं प्रति वादी गण द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपने पक्ष के समर्थन

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:50:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

में ना कोई जवाब प्रस्तुत किया और न ही कोइ दस्तावेजी साक्ष्य पेश किया गया। प्रतिवादी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। वादी गण का वाद हिस्से एवं मौके पर बाहमी विभाजन के अनुसार दावा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश::

उपरोक्त विवेचानुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम बडा तह0 बारां के ख0नं0 101 रकबा 2.15 है0 का वादी एवं प्रतिवादी गण के मध्य हिस्से एवं मौके पर कब्जे अनुसार पृथक–पृथक विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है। तदनुसार प्राथमिक डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:50:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

प्राथमिक डिक्री

वाद संख्या 138/2020	धारा अन्तर्गत **53,188 आर टी एक्ट,**	निर्णय दिनांक :– 28.03.2022
समक्ष : **श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां**		
उपस्थिति :अभिभाषक वादी:– श्री ओम मेहता	अभिभाषक प्रतिवादी:–	

वाद शीर्षक

उनवान

1. मोहनलाल आयु 62 वर्ष पुत्र श्री बजरंगलाल जाति माली
2. मुकुटबिहारी आयु 51 वर्ष पुत्र बजरंग लाल जाति माली
3. छोटूलाल आयु 41 वर्ष पुत्र बजरंगलाल जाति माली निवासीगण अंता तह0 जिला बारां।

बनाम

1. ओंकारलाल पुत्र शंकरलाल जाति माली निवासी बडा
2. चतुर्भुज पुत्र शंकरलाल जाति माली निवासी बडा।
3. बद्रीलाल पुत्र शंकरलाल जाति माली निवासी बडा।
4. ओंकारबाई पुत्री शंकरलाल पत्नी रामनारायण जाति माली निवासी गोपाल पुरा की झोपडिया बोंहत के पास तह0 मांगरोल
5. हजारीबाई पुत्री शंकरलाल पत्नी छोटूलाल जाति माली नि0 सुकनी नदी के पास ईटावा जिला कोटा।
6. मीनाक्षी सुवांलका पत्नी मनोज सुवांलका जाति कलाल निवासी कलमण्डा तह0 व जिला बारां हाल निवासी तेल फैक्ट्री बारां
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां।

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेषित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम बडा तह0 बारां के ख0नं0 101 रकबा 2.15 है0 का वादी एवं प्रतिवादी गण के मध्य हिस्से एवं मौके पर कब्जे अनुसार पृथक–पृथक विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेष मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक. 28.03.2022 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
बारां जिला बारां

क्र.सं.	व्यय मद	व्ययानुतोष वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:50:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner